(वाद सं0.-4861/4/5/2020-WC)

22.06.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, बुचनी देवी के साथ बलात्कार से संबंधित धटना में भागलपुर जिला के खरीक थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, नवगछिया** के प्रतिवेदन के साथ **अनुलग्नित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के लिखित आवेदन के आधार पर 06 नामांकित व्यक्तियों के विरूद्ध परिवादी के साथ गाली गलौज तथा मार–पीट कर जख्मी कर देने के आरोप में भा0द0स0 की धाराओं–341/323/354/504/34 के अन्तर्गत खरीक थाना कांड सं0–47/2020, दिनांक–05.03.2020 संस्थित किया गया है जिसमे 04 नामांकित अभियुक्तों की संलिप्तता को सत्य पाकर उनके विरूद्ध **आरोप–पत्र** समर्पित किया जा चुका है तथा मामला वर्तमान में न्यायालय के समक्ष **विचाराधीन** है।

परिवादी को बार–बार परेशान करने के शिकायत पर खरीक थाना के थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्त पक्ष के विरूद्ध खरीक थाना में अप्राथमिकी सं0–35/2020, दिनांक–06.03.2020 के माध्यम से निरोधात्मक कार्रवाई भी किया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में **आरोप–पत्र** समर्पित किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले मे कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता

है। परिवादी उक्त के संबंध में संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **पुलिस अधीक्षक, नवगछिया** से प्राप्त प्रतिवेदन(अनुलग्नको सहित) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक